माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र. / पीबीआर/2017/निगरानी R-613-PBR-17

1- भगवान दास पुत्र चुरखा बाथम

2- भागीरथ पुत्र चुरखा बाथम निवासी गण नर्वदा कालोनी भगत जी वाली गली मुरार ग्वालियरम०प्र०

....प्रार्थीगण

बनाम

1- गनेशी लाल पुत्र ब्रजलाल

2- नरेन्द्र कुमार पुत्र ब्रजलाल

3- कन्हैया लाल पुत्र ब्रजलाल

4- सुशील चन्द्र पुत्र ब्रजलाल

समस्त निवासीगण- सौदागर संतर मुरारग्वालियर म०प्र०

...प्रतिप्रार्थीगण

श्री एम. पी. नवार आदि द्वारा आज दि. 8-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

08-02-17

निगरानी आवेदन धारा 50 म०प्र०भू. रा. संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निवेदनहै कि प्रार्थीगणो कीओर से निगरानी आवेदन श्रीमान अपरतहसीलदार वृत्त मुरार ग्वालियर के प्र. क्र. 1/16-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 6.2.17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जारहाहैजिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 613–पीबीआर/2017 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–02–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा गाह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का मुख्य रूप से केवल यही तर्क है कि तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्ति पर कोई विवेचना न करते हुये निरस्त कर दी है । अतः उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदकगण की आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	